This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 15 नवम्बर, 2023 / 24 कार्तिक, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 अक्तूबर, 2023

संख्या एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–1 / 2023.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न

अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

वन परिक्षेत्र : सरांह वन मण्डलः चौपाल तहसील : चौपाल जिला शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं
1.	55 / 2020	झूरी	बमनोल	77 / 1, 507 / 1 / 1 **कित्ता. . 2**	18–76–45	उत्तर – महाल बमनोल पूर्व – महाल बमनोल दक्षिण– महाल बमनोल एवं महाल थून्दल पश्चिम–महाल थून्दल
2.	56 / 2020	चलौंथा	बमनोल	200 / 1, 500 / 1 **कित्ता. . 2**	11–25–38	उत्तर महाल बड़ोग पूर्व – महाल बमनोल दक्षिण– महाल बमनोल पश्चिम–महाल बमनोल
3.	57 / 2020	कराई	बमनोल	894 / 1	22–33–90	उत्तर – महाल बमनोल पूर्व – महाल बमनोल दक्षिण– महाल थून्दल पश्चिम– महाल थून्दल
4.	58 / 2020	बगार	तुईल	463 / 1, 463 / 2, 493 / 1, 493 / 2 **कित्ता. . 4**	37–44–67	उत्तर – महाल तुईल पूर्व – महाल तुईल दक्षिण महाल भौंट पश्चिम– महाल धगून
5.	59 / 2020	सतोटी	तुईल	1 / 1, 506 / 62 / 1 **कित्ता. . 2**	17–41–95	उत्तर – महाल कलून पूर्व – महाल तुईल दक्षिण –महाल धगून पश्चिम– महाल धगून
6.	60 / 2020	जनाह	तुईल	32, 33 / 1, 87 / 1, 89 / 1, 174 / 1 **कित्ता. . 5**	18–84–90	उत्तर – महाल कलून पूर्व – महाल तुईल दक्षिण – महाल तुईल पश्चिम– महाल तुईल
7.	61 / 2020	कलून	कलून	598 / 1, 598 / 5, 637 / 1, 637 / 6, 654 / 1, 654 / 3, 654 / 4, 654 / 6,	20–92–05	उत्तर – सम्पदा शापड़ा पूर्व – सम्पदा ननाहर दक्षिण– सम्पदा तुईल पश्चिम–सम्पदा कलून

				654 / 7 **किता. . 9**		
8.	62 / 2020	फलौना	फलौना	145 / 1, 160 / 1 **किता. . 2**	12—58—07	उत्तर —सम्पदा कठियाना पूर्व — सम्पदा फलौना दक्षिण —सम्पदा फलौना पश्चिम— सम्पदा ढलोग
9.	63 / 2020	ननाहर—प्रथम	ननाहर	372 / 1	05—88—65	उत्तर —सम्पदा ननाहर पूर्व — सम्पदा ननाहर दक्षिण—सम्पदा ननाहर पश्चिम—सम्पदा ननाहर
10.	64 / 2020	ननाहर—द्वितीय	ननाहर	1 / 1, 2, 2 / 1 / 1, 2 / 1 / 5 **किता. . 4**	18—60—35	उत्तर — सम्पदा कोट पूर्व — सम्पदा ननाहर दक्षिण —सम्पदा ननाहर पश्चिम—सम्पदा शापड़ा
11.	65 / 2020	ननाहर—तृतीय	ननाहर	671 / 1	05—64—91	उत्तर — सम्पदा ननाहर पूर्व — सम्पदा झीना दक्षिण — सम्पदा झीना एवं सम्पदा तुईल पश्चिम— सम्पदा शापड़ा
12.	66 / 2020	दधून—प्रथम	दधून	1 / 1, 1 / 3, 1 / 5, 142 / 1, 143, 144 / 1 **किता. . 6**	57—13—68	उत्तर — सम्पदा बासाधार पूर्व — सम्पदा कलून एवं सम्पदा तुईल दक्षिण — सम्पदा दधून पश्चिम— सम्पदा चाखना एवं सम्पदा बडोट
13.	67 / 2020	दधून—द्वितीय	दधून	7 / 1, 147 / 1 **किता. . 2**	14—46—83	उत्तर —सम्पदा दधून पूर्व — सम्पदा तुईल एवं सम्पदा झीना दक्षिण — सम्पदा भौंट पश्चिम— सम्पदा दधून
वन परिक्षेत्र : तारा देवी		वन मण्डलः शिमला		तहसील : शिमला ग्रामीण		जिला शिमला
क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं
14.	30 / 2021	क्रान्द— प्रथम	क्रान्द	16, 18 **किता. . 2**	21—91—26	उत्तर — महाल क्रान्द पूर्व — महाल क्रान्द एवं चमू दक्षिण— महाल हिवण एवं चमू पश्चिम— महाल हिवण
वन परिक्षेत्रः देईया		**वन मण्डलः चौपाल**		**तहसीलः कुपवी**		**जिलाः शिमला**
15.	52 / 2021	सन्नत—प्रथम	सन्नत	1 / 1 / 1,169 / 1, 190 / 1, 217 / 1, 219 / 1 **किता—5**	21—62—53	उत्तर —महाल डी0पी0एफ0 मुनालग पूर्व — महाल सन्नत दक्षिण—महाल डी0पी0एफ0 सराहु एवं केलवी पश्चिम—महाल डी0पी0एफ0 कजाहु
16.	53 / 2021	सन्नत—द्वितीय	सन्नत	262 / 1,263 / 1, 310 / 1	15—18—81	उत्तर —महाल डी0पी0एफ0 मुनालग पूर्व— महाल डी0पी0एफ0 गोंचाड़ी

				कित्ता—3		दक्षिण —महाल सन्नत पश्चिम— महाल सन्नत
17.	54 / 2021	सन्नत—तृतीय	सन्नत	485 / 1	08—45—10	उत्तर – महाल डी0पी0एफ गोंचाड़ी पूर्व – उप—महाल भालू खास दक्षिण— महाल डी0पी0एफ0 केलवी पश्चिम— महाल सन्नत
18.	55 / 2021	जुब्बली	जुब्बली	106, 133 / 1, 157 / 1, 185 / 1, 607 / 1, 607 / 1 / 1, 625 / 1, 629 / 1, 771 / 1, 842 / 1, 879 / 1, 883 / 1, 889 / 1, 946 / 1, 1040 / 1 कित्ता. . 15	174—10—86	उत्तर— महाल डी0पी0एफ0 कनाह पूर्व – महाल मसरांह दक्षिण —महाल जुब्बली पश्चिम— महाल बाग
19.	56 / 2021	झौकड़	झौकड़	1 / 1, 8 / 1, 815 / 1, 903 / 1, 941 / 1, 1002 / 1, 1004, 1005 / 1, 1008 / 1, 1010, 1011 कित्ता. .11	60—02—36	उत्तर— महाल डी0पी0एफ0 चिउना,कूहल एवं खदर पूर्व – महाल डी0पी0एफ0 टण्डाई दक्षिण—महाल डी0पी0एफ0 झौकड़ पश्चिम—महाल बीजाड़ी
वन परिक्षेत्रः काण्डा		**वन मण्डलः चौपाल**		**तहसीलः कुपवी**		**जिलाः शिमला**
20.	01 / 2018	बागी—चतुर्थ	चडौली	1, 6 / 1 / 1, 14, 15, 18 / 1, 425, 426, 427, 431 / 1 / 1, 432 / 1, 434 / 1, 435 / 1. 439 / 1, 1092 / 1, 1093, 1099 / 1, 1101 / 1 कित्ता —17	42—04—59	उत्तर – महाल काण्डा एवं उप महाल हीड़ा खास पूर्व – महाल चड़ौली दक्षिण— महालडी0पी0एफ0 बागी—पंचम पश्चिम— उप महाल तरांह महाल चड़ौली एवं काण्डा
21.	04 / 2018	कुपवीं प्रथम	हीडा खास	332 / 1, 588 / 1, 617 / 1, 663 / 1 कित्ता —4	10—06—73	उत्तर —महाल डी0पी0एफ0 कुपवी पूर्व – महाल जुडू शिलाल, डी0पी0एफ0 हिड़ा खास एवं उप महाल हिड़ा खास दक्षिण— उप महाल डीमी एवं महाल चड़ौली पश्चिम—महाल काण्डा एवं उप—महाल डीमी

22.	11 / 2018	बागी–प्रथम	उप–महाल बागी	1, 3 / 1, 11 / 1, 57 / 1, 494 / 1, 508 / 1, 509, 511 / 1, 517 / 1, 518 / 1 कित्ता –10	42–09–49	उत्तर –उप–सम्पदा ठणांह पूर्व – महाल डी0पी0एफ0 बागी–द्वितीय दक्षिण– उप सम्पदा बागी, डी0पी0एफ0 बागी–द्वितीय पश्चिम –सम्पदा टिक्कर, कुलग, नौरा उप–सम्पदा बागी एवं डी0पी0एफ0 टांगा
23.	12 / 2018	बागी–द्वितीय	उप–महाल बागी	145 / 1, 146 / 1, 148 / 1,166 / 1, 168 / 1, 169 / 1, 204 / 1, 235 / 1, 256 / 1, 313 / 1, 351 / 1, 352 / 1 कित्ता. .12	33–80–36	उत्तर – महाल ठणांह पूर्व – महाल डीमी दक्षिण– महाल टिक्कर पश्चिम– महाल बागी
24.	14 / 2018	घोरला–प्रथम	महाल टिक्कर	1 / 1, 184 / 1, 286 / 1,376, 446 / 1, 712, 720 / 1, 753 / 1 / 1 753 / 1 / 2 कित्ता. .9	68–30–07	उत्तर –महाल टिक्कर एवं उप महाल बागी पूर्व – महाल टिक्कर, डी0पी0एफ0 घोरला– द्वितीय, महाल लवाणधार एवं मझौली दक्षिण – महाल बांदल पश्चिम– महाल कुलग
25.	34 / 2018	बागी–तृतीय	महाल डीमी	2, 3 / 1, 17, 237 / 1, 333 / 1, 361 / 1, 385 / 1, 515 / 1 कित्ता. .8	07–37–22	उत्तर – उप सम्पदा हिड़ा पूर्व – महाल टिक्कर एवं सम्पदा सामूई दक्षिण– उप–सम्पदा चड़ौली पश्चिम– उप–सम्पदा चड़ोली
26.	75 / 2022	हरनाह	उप–महाल मझौली खास	1 / 1, 2, 5 / 1, 68 / 1, 68 / 5, 76 / 1, 76 / 3, 83 / 1, 122 / 1, 199 / 1 / 1, 200 / 1, 349 / 1, 354 / 1, 355 / 1, 411 / 1, 525 / 1, 542 / 1, 610 / 1, 620 / 1, 621 / 1 622 / 1, 755 / 1, 815 / 1, 1059 / 1, 1075 / 1, 1114 / 1, 1115, 1630 / 1, 1631 / 1 कित्ता –29	131–16–31	उत्तर – महाल सामुई एवं हिड़ा पूर्व – महाल कोठी, मशौत एवं बाग दक्षिण– महाल हरनाह, अशाहधार (मझौली) पश्चिम– महाल लवाणधार एवं टिक्कर

27.	76 / 2022	लवाणधार	उप–महाल लवाणधार	1 / 1, 2 / 1, 34 / 1, 64 / 1, 77 / 1, 82, 125 / 1, 255 / 1, 288 / 1, 289, 290 / 1, 291 / 1, 398 / 1, 511 / 1, 532 / 1 **कित्ता –15**	59–43–16	उत्तर – महाल मझौली पूर्व– उप–महाल लवाणधार दक्षिण – सम्पदा अशाहधार पश्चिम– सम्पदा बान्दल एवं सम्पदा टिक्कर
28.	77 / 2022	रण्डी की भीड़–द्वितीय	देहरां	646 / 1, 647 / 1, 648 / 1, 661 / 1, 725 / 1, 735 / 1 **कित्ता –6**	213–16–72	उत्तर – सम्पदा डाकशराड़ पूर्व – सम्पदा गवाए एवं उप सम्पदा सैंज खड सम्पदा देहरा दक्षिण– कोटी जिला सिरमौर पश्चिम– धारण उप सम्पदा ओरण गांव खड सम्पदा बावत
29.	78 / 2022	बागी–षष्टम	उप–महाल डिमी महाल चड़ोली	544 / 1,546 / 1, 547 / 1 **कित्ता –3**	05–42–06	उत्तर– उप–सम्पदा डिमी पूर्व – सम्पदा टिक्कर दक्षिण –उप सम्पदा बागी सम्पदा चड़ोली पश्चिम– उप सम्पदा बागी सम्पदा चड़ोली
30.	79 / 2022	कुपवी–चतुर्थ	उप–महाल हिड़ा खास	1 / 1	09–40–02	उत्तर– महाल डी0पी0एफ0 कुपवी पूर्व – महाल जुड़ू शिलाल एवं हिड़ा खास दक्षिण – उप–महाल हिड़ा खास पश्चिम– महाल काण्डा एवं डी0पी0एफ0 कुपवी

आदेश द्वारा,

डॉ अमनदीप गर्ग,
सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-1/2023, dated 03-10-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd October, 2023

No. FFE-B-F(14)-1/2023.— WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the

SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Range: SARANH *Division*: CHOPAL *Tehsil*: CHOPAL *District:* SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
1.	55/2020	Jhoori	Bamnol	77/1 507/1/1 **Kitta-2**	18-76-45	North: Muhal Bamnol East: Muhal Bamnol South: Muhal Bamnol & Muhal Thundal West: Muhal Thundal
2.	56/2020	Chalaunthha	Bamnol	200/1, 500/1 **Kitta-2**	11-25-38	North: Muhal Barog East: Muhal Bamnol South: Muhal Bamnol West: Muhal Bamnol
3.	57/2020	Karai	Bamnol	894/1	22-33-90	North: Muhal Bamnol Eastv: Muhal Bamnol South: Muhal Thundal West: Muhal Thundal
4.	58/2020	Bagar	Tooyil	463/1, 463/2, 493/1, 493/2 **Kitta-4**	37-44-67	North: Muhal Tooyil East: Muhal Tooyil South: Muhal Bhaunt West: Muhal Dhagoon
5.	59/2020	Satoti	Tooyil	1/1 506/62/1 **Kitta-2**	17-41-95	North: Muhal Kaloon East: Muhal Tooyil South: Muhal Dhagoon West: Muhal Dhagoon
6.	60/2020	Janah	Tooyil	32, 33/1, 87/1, 89/1, 174/1 **Kitta-5**	18-84-90	North: Muhal Kaloon East: Muhal Tooyil South: Muhal Tooyil West: Muhal Tooyil
7.	61/2020	Kaloon	Kaloon	598/1,598/5, 637/1. 637/6, 654/1,654/3, 654/4. 654/6, 654/7 **Kitta-9**	20-92-05	North: Sampda Shapda East: Sampda Nanaahar South: Sampda Tooyil West: Sampda Kaloon
8.	62/2020	Falauna	Falauna	145/1 160/1 **Kitta-2**	12-58-07	North: Sampda Kathhiyana East: Sampda Falauna South: Sampda Falauna West: Sampda Dhalog

9.	63/2020	Nanaahar-I	Nanaahar	372/1	05-88-65	North: Sampda Nanaahar East: Sampda Nanaahar South: Sampda Nanaahar West: Sampda Nanaahar
10.	64/2020	Nanaahar-II	Nanaahar	1/1, 2, 2/1/1, 2/1/5 **Kitta-4**	18-60-35	North: Sampda Kot East: Sampda Nanaahar South: Sampda Nanaahar West: Sampda Shapda
11.	65/2020	Nanaahar-III	Nanaahar	671/1	05-64-91	North: Sampda Nanaahar East: Sampda Jheena South: Sampda Jheena & Sampda Tooyil West: Sampda Shapda
12.	66/2020	Dadhoon-I	Dadhoon	1/1, 1/3, 1/5, 142/1, 143, 144/1 **Kitta- 6**	57-13-68	North Sampda Basadhar East: Sampda Kaloon & Sampda Tooyil South : Sampda Dadhoon West: Sampda Chakhna & Sampda Badot
13.	67/2020	Dadhoon-II	Dadhoon	7/1, 147/1 **Kitta-2**	14-46-83	North: Sampda Dadhoon East: Sampda Tooyil & Sampda Jheena South: Sampda Bhaunt West: Sampda Dadhoon

Range: TARA DEVI *Division*: SHIMLA *Tehsil*: SHIMLA RURAL *District:* SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
14.	30/2021	Krand-I	Krand	16, 18 **Kitta-2**	21-91-26	North: Muhal Krand East: Muhal Krand & Chamu South: Muhal Hivan & Chamu West: Muhal Hivan

Range: DEIYA *Division*: CHOPAL *Tehsil*: KUPVI *District:* SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries

15.	52/2021	Sannat-I	Sannat	1/1/1, 169/1, 190/1, 217/1, 219/1 **Kitta-5**	21-62-53	North: Muhal DPF Munalag East: Muhal Sannat South: Muhal DPF Sarahu & Kelvi West: Muhal DPF Kajahu
16.	53/2021	Sanat-II	Sannat	262/1, 263/1, 310/1 **Kitta-3**	15-18-81	North: Muhal DPF Munalag East: Muhal DPF Gonchadi South: Muhal Sannat West: Muhal Sannat
17.	54/2021	Sannat-III	Sannat	485/1	08-45-10	North: Muhal DPF Gochadi East: Up Muhal Bhalu khas South: Muhal DPF Kelvi West: Muhal Sannat
18.	55/2021	Jubbali	Jubbali	106, 133/1, 157/1, 185/1, 607/1, 607/1/1, 625/1, 629/1, 771/1, 842/1, 879/1, 883/1, 889/1, 946/1, 1040/1 **Kitta-15**	174-10-86	North: Muhal DPF Kanah East: Muhal Masranh South: Muhal Jubbali West: Muhal Bag
19.	56/2021	Jhokad	Jhokad	1/1, 8/1, 815/1, 903/1, 941/1, 1002/1, 1004, 1005/1, 1008/1, 1010, 1011 **Kitta-11**	60-02-36	North: Muhal DPF Chiuna, Kuhl & Khadar East: Muhal DPF Tandai South: Muhal DPF Jhokad West: Muhal Bijadi

Range: KANDA *Division*: CHOPAL *Tehsil*: KUPVI *District:* SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
20.	01/2018	Bagi -IV	Charoli	1, 6/1/1, 14, 15, 18/1, 425, 426, 427, 431/1/1, 432/1, 434/1, 435/1, 439/1, 1092/1, 1093, 1099/1, 1101/1 **Kitta-17**	42-04-59	North: Muhal Kanda & Up Muhal Hida Khas East: Muhal Chadoli South: Muhal DPF Bagi-V West: Up Muhal Trahan Muhal Chadoli & Kanda

21.	04/2018	Kupvi-I	Hida Khas	332/1, 588/1, 617/1, 663/1 **Kitta= 4**	10-06-73	North: Muhal DPF Kupvi East: MuhalJudu Shilal DPF Hida Khas & Up Muhal Hida Khas South : Up Muhal Dimi & Muhal Chadoli West: Muhal Kanda & Up Muhal Dimi
22.	11/2018	Bagi-I	Up Mahal Bagi	1, 3/1, 11/1, 57/1, 494/1, 508/1, 509, 511/1, 517/1, 518/1 **Kitta-10**	42-09-49	North: Up Sampada Thhanah East: Muhal DPF Bagi-II South: Up Sampada Bagi, DPF Bagi-II West: Sampada Tikkar, Kulag, Noura, Up Sampada Bagi & DPF Tanga
23.	12/2018	Bagi-II	Up Muhal Bagi	145/1, 146/1, 148/1, 166/1, 168/1, 169/1, 204/1, 235/1, 256/1, 313/1, 351/1, 352/1 **Kitta- 12**	33-80-36	North: Muhal Thhanah East: Muhal Dimi South: Muhal Tikkar West: Muhal Bagi
24.	14/2018	Ghorla-I	Muhal Tikkar	1/1, 184/1, 286/1, 376, 446/1, 712, 720/1, 753/1/1 , 753/1/2 **Kitta- 9**	68-30-07	North: Muhal Tikkar & Up Muhal Bagi East: Muhal Tikkar, DPF Ghorla-II, Lwandhar & Majhauli South: Muhal Bandal West: Muhal Kulag
25.	34/2018	Bagi-III	Muhal Dimi	2, 3/1, 17, 237/1, 333/1, 361/1, 385/1, 515/1 **Kitta-8**	07-37-22	North: Up Sampada Hida East: Muhal Tikkar & Sampada Samui South: Up Sampada Charauli West: Up Sampada Charauli
26.	75/2022	Harnah	Up Muhal Majhauli Khaas	1/1, 2, 5/1, 68/1, 68/5, 76/1, 76/3, 83/1, 122/1, 199/1/1, 200/1, 349/1, 354/1, 355/1, 411/1, 525/1, 542/1, 610/1, 620/1, 621/1, 622/1,	131-16-31	North: Muhal Samui & Hira East: Muhal Kothi, Mashaut & Bag South: Muhal Harnah. Ashahdhar (Majhauli) West: Muhal Lawaandhar

				755/1, 815/1, 1059/1, 1075/1, 1114/1, 1115, 1630/1, 1631/1 **Kitta- 29**		& Tikkar
27.	76/2022	Lawaandhar	Up Muhal Lawaan--dhar	1/1, 2/1, 34/1, 64/1, 77/1, 82, 125/1, 255/1, 288/1, 289, 290/1, 291/1, 398/1, 511/1, 532/1 **Kitta-15**	59-43-16	North: Muhal Majhauli East: Up Muhal Lawaandhar South: Sampada Ashahdhar West: Sampada Bandal & Sampada Tikkar
28.	77/2022	Randi ki Bheed-II	Dehran	646/1, 647/1, 648/1,661/1, 725/1, 735/1 Kitta-6	213-16-72	North: Sampada Daakshrad East: Sampada Gavaey & Up Sampada Sainjkhad Sampada Dehra South: Koti Distt.Sirmaur West: Dhaaran Up Sampada Oran Gaonkhad & Sampada Bawat
29.	78/2022	Bagi-VI	Up Muhal Dimi Muhal Chadauli	544/1, 546/1, 547/1 **Kitta-3**	05-42-06	North: Up Sampada Dimi East: Sampada Tikkar South: Up Sampada Bagi Sampada Chadauli West: Up Sampada Bagi Sampada Chadauli
30.	79/2022	Kupvi-IV	Up Muhal Hida Khaas	1/1	09-40-02	North: Muhal DPF Kupvi East: Muhal Judu Shillal & Hida Khaas South: Up Muhal Hida Khaas West: Muhal Kanda & DPF Kupvi

By order,

Dr. AMANDEEP GARG,
Secretary (Forests)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 10 नवम्बर, 2023

संख्याः टी0पी0टी0–ए(3)–4/2013–I.––हिमाचल प्रदेश मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 27 जून, 2023 द्वारा अधिसूचित और इसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की उप–धारा (1) के अधीन यथापेक्षित इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 03 जुलाई, 2023 को राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस निमित दो आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए थे जिन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और इन्हें अस्वीकृत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रर्वोक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–14/88 टी0पी0टी0–पार्ट–III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 69–ख का प्रतिस्थापन.**––हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 69–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"69–ख रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आबंटन के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस.––(1) विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का आबंटन और उसकी फीस,–(1) (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी राज्य में किसी यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) के आबंटन के लिए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन विहित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त, एकमुश्त विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एम) प्रभारित करेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला में विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) के आबंटन और विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एफ) की दर की पद्धति निम्न यथा सारणीबद्ध विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के प्रवर्ग के अनुसार विनिश्चित होगी:––

विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की श्रेणी	विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (रुपये में)	आबंटन की पद्धति
1	2	3	4
क.	0001	5,00,000	ई–नीलामी प्रणाली
ख.	0002-0010	75,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली
ग.	0011-0100	50,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली

घ (i)	0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0251, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0501, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0786, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999.	15000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली
घ (ii)	1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 1001, 1010, 1011, 1112, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2001, 2020, 2121, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3031, 3131, 3232, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4040, 4141, 4242, 4343, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5001, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5656, 5678, 5757, 5858, 5959, 6060, 6061, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6767, 6789, 6868, 6969, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7878, 7979, 8080, 8081, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8989, 9090, 9091, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898.	10,000 (न्यूनतम)	ई–नीलामी प्रणाली

(ख) खण्ड (क) के अधीन यथाउल्लिखित के सिवाय, 0100 से आगे के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों का आबंटन, यदि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला के दस रजिस्ट्रीकरण संख्या के अनियमित क्रम को लांघकर आबंटित किया जाता है (दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया जा रहा है) या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी भी अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला से आबंटित किए जा रहे हैं, केवल 5000 / – रुपए (पांच हजार) के विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करने के पश्चात् ही किया जाएगा :

परन्तु यह कि,––

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के यानों के आबंटन हेतु किसी भी समय एच0पी0 07 श्रृंखला में 0001 के अधिकतम दस रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आरक्षित रखे जाएंगे ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदेय से छूट होगी ।

(iii) इस उप–नियम का तत्स्थानी विद्यमान नियमों के अधीन विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय पर आबंटित किसी भी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) कहा जाएगा।

(iv) खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) पूर्णतया संदत्त चिन्ह होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित किए जाएंगे। तथापि, पहले आओ, पहले पाओ की दशा में, जहां किसी विशेष चिन्ह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां लॉटरी द्वारा चिन्ह आबंटित किए जाएंगे ।

(v) खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के प्रयोजन के लिए, अनियमित क्रम रजिस्ट्रीकरण चिन्ह 0101 के बाद आरम्भ होगा; और किसी मोटर यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक रूप से प्रामाणित यान के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर, उक्त यान के स्वामी को उसी नाम से, जिसके नाम पर पूर्ववर्ती यान रजिस्ट्रीकृत था, नए यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे रजिस्ट्रीकरण नंबर के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

2. **रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का प्रतिधारण.**––(क) यान के स्वामी, जिस यान पर रजिस्ट्रीकरण आबंटित किया गया है, उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने और उसके स्वामित्व वाले पुराने यान की बिक्री या स्क्रैपिंग पर, इस नए यान पर लगाए जाने का हकदार होगा । वह पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा खरीदे गए नए यान को उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के लिए आवेदन करेगा । ऐसे आबंटन के दौरान, पुराने यान को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक नया नम्बर आबंटित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकॉर्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे ।

(ख) यान का स्वामी, यान की बिक्री/अनुपयोगी होने/स्क्रैपिंग की दशा में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अभ्यर्पण/खाली रहने की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने का हकदार होगा । यान के पूर्व स्वामी के लिखित अनुरोध पर पहले 90 दिन के लिए 2500/– रुपए और इसके पश्चात आगामी 90 दिन के लिए 3000/– रुपए की फीस के संदाय के पश्चात् ही अवधि को 180 दिन तक और आगे बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह कि,––

(i) इस उप–नियम के उपबन्ध सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी यान पर लागू नहीं होंगे ।

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पूर्व यान के स्वामी को उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के पश्चात्, यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान प्राथमिक श्रेणी से अनियमित क्रम में एक नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस वाहन को आबंटित किया जाए जिससे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लिया जा रहा है, या उप–नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात् यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) आबंटित किया जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकॉर्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे; और

(iii) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) या अन्यथा किसी सरकारी स्वामित्व वाले यान का है, जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रवणित किया जाता है तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को कोई फीस प्रभारित किए बिना उसी सरकारी एजेंसी को पुनः आबंटित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित काल के लिए प्रतिधारित किया जाएगा और नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला से दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में आबंटित किया जाएगा या उप–नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन उस यान को, जिससे विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हटाया जा रहा है, विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात् यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया जाएगा'' ।

(iv) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) किसी व्यष्टि या संगठन (ई–नीलामी के माध्यम से अभिप्राप्त एस आर एम) के स्वामित्वाधीन यान से सम्बंधित है, जो प्रवणित है, तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह केवल बोली लगाने वाले द्वारा इस उप–नियम में यथा उल्लिखित अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाएगा, अन्यथा वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास पुनः आबंटन हेतु उपलब्ध रहेगा तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह खंड (iii) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आबंटित किया जाएगा । बोली लगाने वाले की मृत्यु की दशा में, उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विधिक उत्तराधिकारी द्वारा इस उप–नियम में यथा उल्लिखित अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाएगा ।

3. **राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यानों को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) का पुनः अभिहस्तांकन.**––यान का स्वामी, जिसे हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित हुआ है नियम 69–(क) में यथा उपबन्धित ई–नीलामी / बोली प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राप्त एस आर एम द्वारा उक्त चिन्ह को बदले जाने का हकदार होगा, परन्तु यह कि:––

(i) यान अवक्रय / पट्टा / आडमान (हाईपोथीकेशन) के करार के अध्यधीन नहीं है;

(ii) यान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो / राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट द्वारा यथा प्रमाणित किसी भी आपराधिक कार्यवाहियों के अंतर्वलित नहीं है;

(iii) यान समस्त देय और करों के समाशोधन के अध्यधीन है;

(iv) विद्यमान संख्या जिसके स्थान पर ई–नीलामी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नया नम्बर अभिप्राप्त किया गया है, को नियम 69–ख के उप–नियम (2) में यथावर्णित अवधि के लिए स्वामी द्वारा प्रतिधारित किया जा सकेगा और इसे उसके स्वामित्व वाले नए यान पर लगाया जा सकेगा या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा।"

आदेश द्वारा,

हस्ता0 / –
(आर0 डी0 नजीम),
प्रधान सचिव (परिवहन)।

——————

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-4/2013-I dated 10-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 10th November, 2023

No. TPT-A(3)-4/2013-I.— Whereas, *vide* this Department notification of even number dated 27th June, 2023, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2023 were notified and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 03 July, 2023, for inviting objection(s) or suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No 59 of 1988);

And, whereas, two objection(s) or suggestion(s) were received in this behalf within the stipulated period, which were duly considered and rejected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 read with sub-section (2) of Section 212 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified *vide* this department's Notification No. 5-14/88-TPT-Part-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary), Himachal Pradesh dated 27th of July, 1999, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 69-B.—For rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

"69-B Special Registration Fee for allotment of registration marks.—(1) Allotment of Special Registration Marks and Fee thereof,—(1) (a)The Registering Authority shall charge one-time Special Registration Fee (SRF) for allotment of a Special Registration Mark (SRM) to a motor vehicle, in addition to the registration fee, prescribed under rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in the State. In each registration series, the mode of allotment of Special Registration Mark (SRM) and rate of Special Registration Fee (SRF) shall be governed by the category of special registration mark as tabulated below:—

Category of Special Registration Mark	Special Registration Marks	Special Registration Fee (In Rs.)	Mode of allotment
1	2	3	4
A	0001	5,00,000	e-auction system
B	0002-0010	75,000 (Minimum)	e-auction system
C	0011-0100	50,000 (Minimum)	e-auction system
D (i)	0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0251, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0501, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0786, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999.	15,000 (Minimum)	e-auction system
D (ii)	1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800,	10,000 (Minimum)	e-auction system

	4900, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 1001, 1010, 1011, 1112, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2001, 2020, 2121, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3031, 3131, 3232, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4040, 4141, 4242, 4343, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5001, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5656, 5678, 5757, 5858, 5959, 6060, 6061, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6767, 6789, 6868, 6969, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7878, 7979, 8080, 8081, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8989, 9090, 9091, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898.		

(b) Allotment of registration marks above 0100 other than those as mentioned under clause (a) shall be after charging the Special Registration Fee (SRF) of Rs. 5000/- (Five Thousand) only if registration mark is allotted by jumping the random order of ten registration numbers of existing primary series (one from which registration marks are being allotted in random order of ten registration numbers) or from any of the additional registration series by the concerned registering authority:

Provided that,—

(i) Maximum Ten Registration Marks of 0001 shall be kept reserved for the allotment of General Administration Department vehicles in HP 07 series at any given point of time;

(ii) the General Administration Department shall be exempted from the payment of Special Registration Fee (SRF);

(iii) any registration mark allotted under this sub-rule or corresponding extant rules on payment of Special Registration Fee, shall be termed as Special Registration Mark (SRM);

(iv) the registration marks specified under clause (b) shall be totally paid marks and allotted on first come first serve basis. However, in case of first come first serve basis where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by draw of lots;

(v) for the purpose of special registration marks specified under clause (b), the random order shall start from registration marks 0101 onwards; and

(vi) in case any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the insurance company, the owner of the said vehicle shall not be required to pay the Special Registration Fee (SRF) for the same registration number for a new vehicle in the same name in whose name the earlier vehicle was registered.

(2) Retention of Registration Mark.—(a) The owner of the vehicle on which Registration Mark has been allotted shall be entitled to retain the said mark and get it affixed on new vehicle owned by him upon sale or scrapping of the old vehicle. He shall first apply to the Registering Authority to allot the said Registration Mark to the new vehicle purchased by him. During such allotment, the old vehicle shall be allotted a new number in accordance with the provisions of these rules and registering authority shall also ensure that no vehicle or its record remains without a registration mark at any time.

(b) In case of sale/condemnation/scrapping of vehicle, the owner shall be entitled to retain the said mark for a period of 180 days from the date of surrender/ vacation of the registration number. The period can be further extended upto 180 days on written request of previous owner after payment of fee of Rs. 2500/- for first 90 days and Rs. 3000/- for next 90 days:

Provided that,—

(i) the provisions of this sub-rule shall not apply to any vehicle owned by Government;

(ii) the Registering Authority shall, after allotting the said registration mark to the previous owner, ensure that a new registration mark, in the random order, from the existing primary series is allotted to the vehicle from which the registration mark is being taken off or allot the Special Registration Mark (SRM) to vehicle after payment of Specified Special Registration Fee under sub-rule (1) and shall also ensure that no vehicle or its record remains without a registration mark at any time; and

(iii) if a particular registration mark (SRM or otherwise) belongs to a Government owned vehicle which is disposed of by the Government agency, the said registration mark shall be retained for indefinite period by the Registration Authority for re-allotment to the same Government agency without charging any fee and new registration mark shall be allotted in random order of ten registration numbers from the existing primary series or allot the Special Registration Marks to vehicle after payment of specified Special Registration Fee under clauses (a) and (b) of sub-rule (1) of this rule to the vehicle from which the particular registration mark is being taken off".

(iv) In case a Special registration mark (SRM) belongs to an individual or organization (SRM obtained through e-auction) owned vehicle which is disposed off, the said registration mark shall be retained only by the bidder for a period as mentioned in this sub-rule, otherwise the same shall be available with the Registration Authority for re-allotment and new registration mark shall be allotted as per procedure mentioned in clause (iii). In case of death of the bidder, the said registration mark shall be retained by legal heir for a period as mentioned in this sub-rule.

(3) Re-assignment of Special registration mark (SRM) to vehicles registered within State.— The vehicle of the owner towhich Himachal Pradesh registration mark has been allotted shall be entitled to get the said mark replaced by SRM as provided in rule 69-(A) obtained through e-auction/bidding process provided that—

(i) the vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/ lease/hypothecation;

(ii) the vehicle is not involved in any criminal proceedings as certified by National Crime Records Bureau/State Crime Records Bureau report;

(iii) the vehicle is subject to clearance of all dues and taxes;

(iv) the existing number against which the new number has been obtained through

e-auction/bidding process can be retained by the owner for the period as mentioned in sub-rule (2) of rule 69-B and get it affixed on new vehicle owned by him or frozen by the concerned Registering and Licensing Authority."

By order,

Sd/-
(R. D. NAZEEM),
Principal Secretary (Transport).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बलबीर सिंह पुत्र श्री खूब सिंह, निवासी गांव सुजा, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

बलबीर सिंह पुत्र श्री खूब सिंह, निवासी गांव सुजा, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनकी माता सुनीता देवी की मृत्यु दिनांक 10–01–1998 को गांव सुजा, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17–11–2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अनुराधा कौंडल पुत्री श्री देवी प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अनुराधा कौंडल पुत्री श्री देवी प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 02–08–1984 को गांव व डाकघर रजोट, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सौरभ धीमान पुत्र श्री सुर्जन सिंह, निवासी गांव व डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सौरभ धीमान पुत्र श्री सुर्जन सिंह, निवासी गांव व डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 09–06–2020 को गांव व डाकघर भट्टू, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22–11–2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

भरत कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भरत कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 21–11–1973 को गांव नगेहड, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर / एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–11–2023

जंगलात सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव बन भुलाना, डा0 भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके जय सिंह के बजाये जैसी राम दर्ज करने बारे।

जंगलात सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव बन भुलाना, डा0 भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि वह महाल धानग, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम जय सिंह पुत्र अतर सिंह है, जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम जैसी राम पुत्र अतर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जैसी राम पुत्र अतर सिंह किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–11–2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 13 / C / 2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री अनूप कुमार पुत्र श्री गरीब दास, निवासी गांव ढण्डोल व डाकघर ढण्डोल, उप–तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री अनूप कुमार पुत्र श्री गरीब दास, निवासी गांव ढण्डोल व डाकघर ढण्डोल, उप–तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र आदि में सही नाम गरीब दास दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम गरीबा दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में सही नाम श्री गरीब दास उर्फ गरीबा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–11–2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 11 / C / 2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री राजेश कुमार राणा पुत्र श्री दलीप सिंह राणा, निवासी गांव भुखेड़ व डाकघर भुलाना, उप–तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

श्री राजेश कुमार राणा पुत्र श्री दलीप सिंह राणा, निवासी गांव भुखेड़ व डाकघर भुलाना, उप–तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र आदि में सही नाम राजेश कुमार राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड, बन भुलाना, चम्बे दा बेहडू में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम राजेश पाल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड, बन भुलाना, चम्बे दा बेहडू में सही नाम श्री राजेश कुमार राणा उर्फ राजेश पाल पुत्र श्री दलीप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–11–2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31–10–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 17 / BDR / 2023 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती अंजना देवी पुत्री रणजीत सिंह, निवासी महाल दरुग, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

श्रीमती अंजना देवी पुत्री रणजीत सिंह, निवासी महाल दरुग, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मेरी माता निर्मला देवी का देहांत दिनांक 19–08–2023 को महाल दरुग, उप–तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण–पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण–पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–11–2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म / मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 31—10—2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Ram Parkash, r/o Village Kudhar, P.O. Salouni, Tehsil Bhota, District Hamirpur (H.P.) declares that I have changed my Name from Rakesh Kumar Sharma s/o Sh. Ram Parkash Sharma to Rakesh Kumar s/o Sh. Ram Parkash for all purposes in future. Please note.

RAKESH KUMAR
s/o Sh. Ram Parkash,
r/o Village Kudhar, P.O. Salouni,
Tehsil Bhota, District Hamirpur (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Lachhmi Devi w/o Lt. Prem Chand, r/o Village & P.O. Fagu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declares that in my Aadhar Card my name was wrongly entered as Lakshmi Devi. Whereas my correct and actual name is Lachhmi Devi. Concern please note.

LACHHMI DEVI
w/o Lt. Prem Chand,
r/o Village & P.O. Fagu,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Satish Chand s/o Sh. Madan Dass, r/o Village Mansar, P.O. Salogra, Tehsil & District Solan (H.P.)-173212 declare that my name in Aadhar card is Satish Kumar. But in other all document is Satish Chand. Now I have changed my name Satish Kumar to Satish Chand. All note it.

SATISH CHAND
s/o Sh. Madan Dass,
r/o Village Mansar, P.O. Salogra
Tehsil & District Solan (H.P.)-173 212.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।